

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/2025/4167

दिनांक 05/12/2025

उपस्थित प्रकरण पवन कुमार बनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या - 284/2025

:- दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपरोक्त निम्नलिखित लेख है कि तहसीलदार श्रीगाधोपुर ने जरिये पत्रांक 19/भू.अ./2025 दिनांक 03/10/2025 के द्वारा राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम कल्याणपुर तहसील श्रीगाधोपुर जिला सीकर में नूमे खाता संख्या 32, 33, 34 में खातेदार पवन कुमार के स्थान पर पवन कुमार नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। पटवारी हल्का कल्याणपुर उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अमिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगाधोपुर (सीकर)

दिनांक 05/12/2025

क्रमांक/रीडर/2025/4168-69

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

- 1 तहसीलदार श्रीगाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
- 2 पटवारी हल्का कल्याणपुर (धर) तहसील श्रीगाधोपुर को पालनार्थ।

(अमिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगाधोपुर (सीकर)



10-10-25
2025/686

प्राप्त दिनांक 2025
श्रीमाधोपुर

आदेश (शिविर स्थान कल्हाणपुर दिनांक 03/10/2025)

जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का - कल्हाणपुर जांच प्रतिवेदन भू अभिलेख
निरीक्षक वृत्त - शोई जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू अभिलेख), श्रीमाधोपुर तथा संलग्न दस्तावेज-
आधार-कांडे, पहचान-पत्र, राशन-कांडे के (राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा - 136 के अन्तर्गत) राजस्व
का नाम - ढाणी करमल्ल के खाता संख्या - 32, 22, 33, 34 में पार्श्व का
नाम - पवनकुमार पुत्र सुरजमान जाति - जार के स्थान पर
पवन कुमार पुत्र सुरजमान सिंह जाति - जार दर्ज कर दुरुस्त
किया जाता है।

उप-खण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला:- सीकर

क्रमांक -

दिनांक -

--:दुरुस्ति का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

शिविर - कल्हाणपुर दिनांक 03 / 10 / 2025 को (राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,
1956 की धारा - 136 के अन्तर्गत) राजस्व ग्राम:- पटवारी हल्का:-
तहसील:- श्रीमाधोपुर के खाता संख्या:-
में खातेदार पुत्र
का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। पटवारी हल्का:-
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ति कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।

उप-खण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर

क्रमांक -

दिनांक -

तलरन - दुरुस्ति आदेश
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, श्रीमाधोपुर को सूचनार्थ
2. भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त:- को पालनार्थ
3. पटवारी हल्का:- को पालनार्थ

उप-खण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर